pose and I do not propose to follow that line.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, this is unfortunate . . .

(Interruptions)

SHRI VIRENDRA PATIL: I would like to know from the Government whether it is a fact that Government have asked the Planning Commission and also the Central Irrigation Commission to prepare a national irrigation plan which is going to cost about Rs. 15,000 crores in order to provide more irrigation facilities in the rural areas and also to utilise the surface water which is going waste today.

SHRI MORARJI R. DESAI: Well, there is a Plan which is being examined from the feasibility point of view. Everything depends upon whether we can execute it and that is being examined very carefully. It cannot be done in less than a year. I am also proposing to consult some other experts from outside in this matter.

SHRI BHUPESH GUPTA: And Mr. Palkhiwala will be one of them.

Beating of Harijans in village Pathada under Public Station Shambhuganj of Bhagalpur District

*92. SHRI MOHAMMED USMAN ARIF:†
SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ:
SHRI N. K. BHATT:
SHRI R. D. JAGTAP AVERGOANKAR:
SHRI KALP NATH RAI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the landlords of village Pathada under Police Station Shambhuganj in Bhagalpur District of Bihar forcibly took about 40 Harijans including women to a school building and beat them mercilessly in a locked room causing serious injuries to them on the 19th June, 1977 on their refusal to work as bonded labour; and

(b) if so, what action Government have taken against those found responsible for the incident?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

According to information received from the Government of Bihar, on 19th June, 1977, about twenty to twentyfive landlords of village Pathada under Police Station Amarpur in District Bhagalpur went to the Harijan Toli and asked the Harijan labourers to come for work in their fields. The labourers had earlier stopped working as they were not being paid minimum wages. When the Harijans still refused to come for work unless minimum wages were paid, the landlords started beating the Harijans with lathis and dragged them out of their houses. They bound a few of them with the ropes, took them round the village and forcibly took them to the local middle school, where they were detained and beaten. Eleven Harijans including five women sustained injuries as a result of the beating. The information of the incident was received by the District Magistrate on 22-6-1977, who after getting preliminary inquiries made by two officials, visited the spot along with the Superintendent of Police, Bhagalpur and the Deputy Chief Medical Officer, Bhagalpur. The Deputy Chief Medical Officer found that the Harijans had been beaten up mercilessly. It was also found that some belongings of the Harijans had been taken away by the landlords. A case under Section 143|341|364/307/324-452-323 and

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Mohammed Usman Arif.

120(B) IPC was registered on 24-6-1977 at the Police Station, Amarpur. Eighteen accused persons have been arrested out of the twenty-two named in the FIR. One other accused has since surrendered in court. Warrants of attachment have been obtained against the remaining accused. Investigation of the case is in progress. The DIG (Harijan Cell) and the Assistant Superintendent of Police, Banka, have also visited the spot.

Out of the 11 injured persons, 3 were admitted in Hospital at Banka, but have since been discharged. Each of the injured persons has been given a grant of Rs. 100/- by the District Magistrate towards medical expenses. All the Harijans of the village have been granted two weeks rations. A Magistrate and a police party have been deputed in the village for maintaining law and order and giving protection to the Harijans. The Officer-in-charge, Amarpur Police Station and the Assistant Sub-Inspector, Phulitumar outpost have been suspended and disciplinary proceedings instituted against them. The Officer-in-charge of the Police Station, Amarpur, has also been transferred.

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ : श्रीमन्, बड़े अफसोस की बात है कि आजाद हिन्दुस्तान में, आजादी के इतने वर्षों के बाद तक भी हरिजनों पर जालिमाना और बेरहमाना अत्याचारों का सिलसिला बराबर चल रहा है और वह किसी प्रकार खत्म नहीं होता । लिखित जवाब में वाक्या 19 तारीख का बताया जाता है और 22 तारीख को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने इसका कागनीजेंस लिया और इनवेस्टीगेशन के लिये आदमी भेजे गये और 24 को जाकर केस रजिस्टर हुआ । मैं मंत्री महोदय से अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि पुलिस स्टेशन जो आसपास थे, वे इतने अर्से तक क्या करते रहे । खासकर उस सूरत में जब कि इन हरिजनों को बांधकर गांव में घुमाया गया और एक स्कूल में ले जा कर बन्द कर दिया गया वहां उनको मारा गया और पीटा गया । इस समय जो लिस्ट है उसके अनुसार ताजीरात हिन्द की दफा 143, 341, 364, 307, 324, 452, 323 और 120(बी) के ऐसे खतरनाक और ऐसे सीरियस आफेन्स हुए, तो पुलिस वहां क्या करती रही । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने अपना डिसीजन लिया या पुलिस के लोगों ने इस वाकये को देखा, जब कि पूरे गांव में उनको घुमाया गया था । यह वाकया ऐसा नहीं हो सकता था, जिसकी एकदम चारों ओर खबर न हो गई हो । तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो मैंने अर्ज की है, उसके बारे में मंत्री महोदय क्या जवाब फरमाते हैं ?

श्री चरण सिंह : उपसभापति महोदय, यह जो स्टेटमेन्ट है, इसके अन्दर दिया हुआ है इसका जवाब कि वह पुलिस आफिसर्स की गलती थी । लिहाजा स्टेशन आफिसर इन्चार्ज का ट्रांसफर कर दिया गया है और सस्पेंड कर दिया गया है और और जो पुलिस की आउट पोस्ट थी, उसके इन्चार्ज, असिस्टेंट सब इन्सपेक्टर को भी सस्पेन्ड कर दिया गया है और उनके खिलाफ इन्क्यावरी हो रही है ।

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ : मैं आपके स्टेटमेन्ट को यहां बयान करना चाहता हूं :

"The Officer-in-charge, Amarpur Police Station and the Assistant Sub-Inspector, Phulitumar outpost have been suspended and disciplinary proceedings instituted against them. The Officer-in-charge of the Police Station, Amarpur, has also been transferred."

तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अमरपुर पुलिस स्टेशन के आफिसर-इन चार्ज को ट्रांसफर किया गया है और उसको सस्पेन्ड किया गया है, यह कन्ट्राडिक्शन है ? इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं ?

श्री चरण सिंह : पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कन्ट्राडिक्शन नहीं है। उसमें पहले लिखा गया है कि आफिसइंचार्ज पुलिस स्टेशन और असिस्टेन्ट सब-इन्सपेक्टर आउट पोस्ट, "बोथ हैव बीन सस्पेन्डेड'। पहले आफिसर-इन्चार्ज जो था उसका ट्रांसफर हो गया था। दोनों काम साथ हो सकते हैं। ट्रांसफर करने के बाद जहां चार्ज लिया है, वहां उसे सस्पेन्ड रखा गया है।

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ: In view of the seriousness of this incident, will the Home Minister be pleased to state what specific steps he proposes to take so that such incidents do not occur again in that area?

श्री चरण सिंह : उपसभापति महोदय, कानून के अन्दर जितना मुमकिन था वह तो कर दिया गया है और तहकीकात हो रही है। मैं तस्लीम करता हूं कि पुलिस आफिसर्स की नाकाबिलीयत और इनऐफिशियेंसी इससे बढ़कर क्या होगी कि 19 को जुर्म होता है और 22 तारीख को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक पब्लिक वर्कर उनकी नोटिस में लाता है इस इंसिडेंट को और 23 को दो आफिसर्स भेजे जाते हैं और 24 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेंडेंट पुलिस जाते हैं और 24 को जाकर रिपोर्ट होती है। तो 19 की घटना की रिपोर्ट 24 को हो तो इससे ज्यादा इनऐफिशियेंसी और नेगलिजेंस की बात पुलिस आफिसर्स के बराबर कोई हो नहीं सकती। इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है, हो सकता है उनके डिस्मिसल की नौबत आये। ऐसे मामले में और क्या किया जा सकता है, अगर माननीय मित्र सजेशन देंगे तो उस पर हम विचार करेंगे।

श्री नन्द किशोर भट्ट : माननीय उपसभापति महोदय, यह बड़े खेद और शर्म की बात है कि 30 वर्ष की आजादी के पश्चात् भी हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका सदियों से शोषण का शिकार रहा है, अभी भी उनके ऊपर बराबर अत्याचार होते जा रहे हैं। मेरा तात्पर्य है हमारे हरिजन भाइयों और पिछड़े भाइयों की तरफ। पिछले चार पांच महीने से हरिजन भाइयों पर इतने अधिक अत्याचार हो रहे है कि शायद ही कोई दिन जाता हो जब देश के किसी न किसी भाग में हरिजनों के ऊपर मारपीट और इसी प्रकार की बातें न हों। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आज की व्यवस्था में वहां कलेक्टर भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है और पुलिस अधिकारी भी हैं, उनके पास लोग जाते हैं, शिकायतें दर्ज होती हैं लेकिन इन सब के बावजूद भी परिणाम कुछ नहीं निकलता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में क्या किसी प्रकार की इंडिपेंडेंट बाडी या इसी प्रकार की कोई व्यवस्था बनाने की सोच रहे हैं जो कि केन्द्रीय स्तर व राज्य स्तर पर इस प्रकार की आये दिन घटनायें होती हैं उन की ओर जो अमानवीय अत्याचार हमारे हरिजन भाईयों पर होते है उनकी रोकथाम की दिशा में ठोस कदम उठा सके ?

श्री चरण सिंह : माननीय मित्र की जहां तक इस बात का सवाल है कि 30 वर्ष से अत्याचार हो रहे है, मै उनसे सहमत हूं, मुमकिन हो तो 101 प्रतिशत उनसे सहमत हूं।

श्री कमल नाथ झा : पांच महीने में बढ़ गई है।

श्री चरण सिंह : बढ़ी नही घटी है...

(Interruptions)

उपसभापति महोदय, मुझे बोलने की इजाजत दी जाएगी ? मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारे मित्र यहां बोल रहे है कि ये अत्याचार हो रहे हैं, तो मैंने तो कहा कि मैं पूर्णतया उससे सहमत हूं लेकिन सारा सवाल यह है कि कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदार सारी हिन्दू सोसायटी है जिसमें हम लोग

शामिल हैं, जो साहब वहां से बोल रहे हैं वह भी शामिल हैं । जब तक यह कास्ट सिस्टम, जिसमें छोटाई और बड़ाई, लो और हाई का आइडिया केवल कास्ट सिस्टम पर आश्रित होगा तब तक यह जुर्म होते रहेंगे छोटे लोगों पर और गरीब लोगों के साथ । तो इसके लिए 30 साल से इस लोक सभा में और बाहर सब ने मिलकर क्या कदम उठाये है, हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं । तो केवल ऐक्सप्रेस करने से कि यह शर्म की बात है कुछ नहीं होता । शर्म की बात है आपके लिए हमारे लिए, सारी हिन्दू सोसायटी के लिए लेकिन सवाल यह है कि क्या किया जाए । जहां तक जुर्म का ताल्लुक है, मैं अर्ज कर चुका हूं कि जांच करने के लिए जो हमारे आफिसर्स ने कोशिश की है उसमें इतनी कठिनाई आई है, मैं किसी स्टेट गवर्नमेंट को कंडम नहीं करना चाहता यह मेरे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन जो कुछ फैक्ट हमारी नोटिस में आई है वह नेगलिजेंस और इनएफिशियेंसी स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेशन की है वह जाहिर हो जायेगी । यह वाक्या है 19 जून का । इस का क्वेश्चन आता है 14 तारीख को हमारे सेक्रिटेरियेट में । 14 तारीख को यहां से होम सेक्रेटरी की तरफ से फोन किया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी को । चीफ सेक्रेटरी भी, होम सेक्रेटरी भी पूरा जवाब नहीं दे पाते और 19 जून के वाकये का सक्रिटेरियेट में, होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को कुछ मालूम नहीं । 14 के बाद फिर 16 को मालूम किया जाता है, फिर भी वह तसल्लीबख्श जवाब नही आता और फिर 18 को फोन किया जाता है वहां और जो रेजिडेंट कमिश्नर है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से उससे भी किया जाता है कि आपके स्टेट में ऐसा हुआ है हमको जवाब नहीं मिल रहा है, आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए । टेलीफोन और टेलेक्स के जरिये सारी बातें उनसे हासिल की जाती हैं । फिर इन्फरमेशन यहां 19 तारीख को आती है । कि हमने 15 तारीख को खत भेज दिया था । यह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इत्तला आती है । फिर कहा जाता है कि खत नहीं वायरलैस भेजा जाए । आज तारीख 21 है और यह इत्तला 20 को आती है । मैं कहना चाहता हू कि कोई सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा । इस मामले मे स्टेट लैवल पर इन-कैपेबिलिटी के सबूत मिलते हैं । सवाल यह है कि क्या हो ? इसमें तालियां बजाने से काम नही चलेगा । बिहार के सदस्य यहां से ज्यादा उधर बैठे है और वे सभी जिम्मेदार है दूसरों के मुकाबले । सवाल यह है कि कोई व्यवस्था इसके लिये की जा रही है या नहीं ? उपसभापति जी, फिलहाल मेरे दिमाग में कोई बात आती नहीं । पहले जो आर्डर जारी हो चुके है पिछली गवर्नमेंट के जरिये, तारीख मुझको याद नही कब जारी किये गये लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि अगर उन पर अमल किया जाए तो वह बहुत काफी है । इसके अलावा नवम्बर, 76 में कानून में तरमीम की गई थी । उनको मैंने देखा था और उनमें पांच-छः तरमीमें की है । उसमें कहा गया है कि किस तरह से आफिसर्स को काम करना है । अगर कोई नैगलिजेंट साबित होता है, कोई पुलिस आफिसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैगलिजेंसी में फसता है तो उसको सजा दी जाए । वह नोट मेरे पास इस समय नही है वरना मैं आपको सुनाता जो तबदीली हुई है मैं समझता हूं । उसके बाद किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती । अगर कोई सुझाव माननीय सदस्य दे सकते हैं तो मुझे खशी है । आपकी तरफ से यह कहा जाता है कि साढ़े पांच महीने से आप क्या कर रहे है, मैं यह कहना चाहता हूं कि सैकड़ों वर्षों से आप क्या करते रहे, हजारों वर्षों से आप क्या करते रहे (*Interruptions*) हमें तो मुश्किल से चार महीने भी नहीं हुए हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि समय हमको नहीं मिला है । यह जो वीकर सैक्शन पर क्राइम्स हो रहे है,

They are all the more reprehensible and all the more condemnable.

पूरी तरह से इनसे मैं सहमत हू ।

श्री आर० डी० जगताप आवरगांवकर : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में जो संगीन वारदातें हुई हैं और हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको दूर करने के लिये कठोर कदम उठाने और इन वारदातों को रोकने के लिये क्या कोई कोशिश की जा रही है ?

श्री चरण सिंह : मैं पहले जवाब दे चुका हूं ।

(Interruptions)

श्री उपसभापति : मंत्री जी आप कुछ कहने वाले थे ।

श्री चरण सिंह : मैं दो दफा पहले जवाब दे चका हूं । गवर्नमेंट ने अब तक जो कदम उठाये है जितने कानून, कवायत और आदेश ज़ारी किये है वे बहुत काफी हैं . . .)

(Interruptions)

SHRI M. R. KRISHNA: Implementation . . .

श्री चरण सिंह : आप मुझे बोलने देना चाहते है या नहीं । उपसभापति जी, मैं यह कह रहा था कि जहां तक कानून और आदेश का ताल्लुक है वह मेरी राय में बहुत काफी है । अगर वह नाकाफी है तो आप इसके लिये सुझाव दे सकते हैं । मैं उन पर विचार करूंगा और मुमकिन हुआ तो उनको एक्सेप्ट भी कर लूंगा । गवर्नमैंट की तरफ से यह कह सकता हूं कि फैल्योर आफ आर्डर और ला की कमी नहीं है कमी है सोशल सिस्टम और ह्यूमन मैटीरियल की ।

How to improve it is the point.

SHRI L. G. HAVANUR: It is appropriate that the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister have stated on more occasions than one that they would appoint a Civil Rights Commission to protect the Constitutional rights of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, minorities and other backward classes. I have been reading in the papers, often, that the Government does not seem to bestow any thought on safeguarding the rights of the Harijans.

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen, hon. Members. Please continue.

SHRI L. G. HAVANUR: Sir, my request is that, now that an urgent situation has arisen, a Civil Rights Commission with wide powers to punish all those who indulge in atrocities against the Harijans should be constituted immediately. The urgency is there because the officer of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been abolished and there is no agency to safeguard the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, I insist upon the Government to appoint a Commission immediately to seafeguard the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In view of the atrocities being perpetrated throughout India against the weaker sections—in particular, against the Harijans—the necessity for appointing a Commission has arisen now. So, will the hon. Prime Minister or the Home Minister appoint a Commission, as was promised by them before?

श्री चरण सिंह : उपसभापति महोदय, यह तो सर्वविदित है कि सिविल राइट्स कमीशन की नियुक्ति का फैसला गवर्नमेंट कर चुकी है ।

श्री देवराव पाटील : जिस माननीय सदस्य ने अभी सवाल पूछा है, वे कर्नाटक से आते है और हिन्दी नहीं समझते है । आप अंग्रेजी में बोलिये ।

श्री चरण सिंह : मैंने आपके अंग्रेजी में पूछे गये प्रश्न को सुना है । आप भी उत्तर हिन्दी में सुनने की कोशिश कीजिये । श्रीमन्, मैं कह रहा था कि सिविल राइट्स कमीशन की नियुक्ति का फैसला यह सरकार कर चुकी है

और यह बात सभी को मालूम है लेकिन उसका अभी तक एक्चुअल अपोन्टमेन्ट नही हुआ है। एक फैसला हुआ है और उसकी नियुक्ति पर विचार हो रहा है। इसके संबंध में कुछ दोस्तों का ख्याल है कि अभी शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर का जो प्रावधान चल रहा है उसको हटा देने से और सिविल राइट्स कमीशन की नियुक्ति से सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेन्ट नही होगी। इस संबंध में शेड्यूल्ड कास्ट्स से संबंधित कई लीडरो के खत मेरे पास आए है। मै उनसे इस संबंध में सहमत नही हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होगी। एक्चुअली उसका क्या ढांचा हो, कौन-कौन सज्जन उसके मेम्बर होंगे, इन सब बातो पर विचार करने की आवश्यकता है। अभी समय की कमी के कारण हम इस मामले में नही जा पाये है। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बडा सवाल समाज की वेल्यूज का है। सिर्फ कानून या कायदे बना देने से किसी समस्या का समाधान नही हो सकता है। इसके लिए समाज की तरफ से भी प्रयत्न किया जाना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि कानून तो एक एनेब्लिंग चीज है। सबसे बड़ा सवाल कानून को एनफोर्स करने का होता है। इस प्रकार की ज्यादातर प्रोबल्म मध्य प्रदेश, बिहार और यू० पी०, इन तीन राज्यों में सामने आई हैं। इंसीडेन्ट्स अगेंस्ट दी शड्यूल्ड कास्ट्स ज्यादातर इन्हीं राज्यों में हुई हैं। जो फीगर्स मेरे पास हैं उनसे मालूम पड़ता है कि इन राज्यो में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं (*Interruptions*) । मैं यह नहीं कहता कि आन्ध्र प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं नही हुई है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनको देखने से यह मालूम पड़ता है कि इन तीन स्टेटों में अपेक्षाकृत अन्य स्टेटों के इस प्रकार के इंसीडेन्ट ज्यादा हुए हैं। आन्ध्र प्रदेश और तामिलनाडु आदि राज्यों में भी हुए हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार के लोगों को, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, इन घटनाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए और हमारी सोसायटी अन्दर जो यह एक कर्श है इसको मिटाने के प्रयत्न करना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next question Shri Sisodia.... (*Interruptions*). There are various ways of raising discussion on important matters. You can raise them, but not during the Question Hour.

Next question.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: I rise on a point of privilege. A new member from Karnataka, who has taken the oath today, has asked a question. The work of this House and every House of the Assemblies also is done in this way. The language that is used by a Member who asks a question, is used by the Member of the Treasury Benches who replies. Have we made Hindi a compulsory language for the Treasury Benches to be superimposed on us in such a way that even if a question is asked in English, it has to be replied to in Hindi? If the Minister says that he does not know English to express himself, it is all right. But if it is an indiosyncrasy of some person to superimpose some language on the rest of the country, we are here to protect the interest of all the languages of India.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no privilege involved in this.

Revision of industrial policy

93 *SHRI SAWAI SINGH SISODIA:†
SHRI PRAKASH MEHROTRA:
SHRIMATI LAKSHMIKUMARI CHUNDAWAT:
SHRI R. D. JAGTAP AVERGOANKAR:
SHRIMATI SAVITA BEHEN:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sawai Singh Sisodia.